

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक : वि.प्र./के-140/17-18/वोल्. 111/

दिनांक :

कार्यालय आदेश संख्या : 01 दिनांक : 07.04.2021

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या : 09/101-Staff (Disc.I)/17-205 दिनांक 31.03.2015 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन की शिकायत समिति के गठन के संबंध में प्रेषित दिशा-निर्देशों की अनुपालना में इस कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या: वि.प्र./के-140/17-18/वोल्. 1/01 दिनांक 05.11.2018 द्वारा, 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । समिति की अध्यक्ष का स्थानान्तरण अन्य कार्यालय में होने के कारण तथा इस कार्यालय में उप महालेखाकार स्तर की महिला अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण प्रधान महालेखाकार महोदय ने शिकायत समिति का पुर्नगठन किया है जिसकी अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1. श्रीमती मीना कुमारी मीणा	वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I) राजस्थान, जयपुर	अध्यक्षा
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा	वरि. लेखाधिकारी	सदस्य
3. श्रीमती वीना जैन	सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
4. श्रीमती हेमलता सोनी	वरि. लेखाकार	सदस्य
5. सुश्री शबनम	एनजीओ प्रतिनिधि (विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति)	सदस्य

हस्ता.

वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन)

क्रमांक : वि.प्र./के-140/17-18/वोल्. 111/ TR-5/25

दिनांक : 07.04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I) राजस्थान, जयपुर ।
3. श्रीमती मीना कुमारी मीणा, वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I) राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त समूह अधिकारी
5. समिति के सदस्य
6. सूचना पट्ट जी.डी. (दो प्रति)
7. सुश्री शबनम द्वारा विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति, फ्लैट नंबर 106, नमन रेजीडेन्सी- II, कृष्णा सागर, पत्रकार कॉलोनी के पास, मानसरोवर, जयपुर-302020.
8. आई. एस. डब्ल्यू अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने हेतु


वरि. लेखाधिकारी / विधिक प्रकोष्ठ